दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय तिथि: 19 जनवरी 2024

मध्य.आ.(वाणि.) 32/2023 और अंतर.आ. 13788/2023

प्रवीण कुमार जैन .....अपीलार्थी

द्वारा: राहुल मलिक, श्री प्रवीण कुमार और श्री अफनान, अधिवक्तागण

बनाम

राजेश शर्मा और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री संजीव सागर, श्री के. खान, सुश्री श्वेता अरोड़ा, श्री सोनू कुमार और श्री संजय बॉबी, अधिवक्तागण

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप जयराम भंभानी

निर्णय

न्या. अनूप जयराम भंभानी

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 ('ए एंड सी अधिनियम') की धारा 37(2)(क) के तहत वर्तमान अपील के माध्यम से, अपीलकर्ता ने ***श्री राजेश शर्मा और अन्य बनाम श्री प्रवीण कुमार जैन*** ('आक्षेपित आदेश') शीर्षक वाले मध्यस्थता मामले संख्या डीआईएसी/3097/08-21 में विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित

दिनांक 12.05.2023 के आदेश पर आपत्ति जताई है जिससे विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने यहां प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 16 के तहत एक आवेदन की अनुमति दी है, जिसने अपीलकर्ता द्वारा दायर प्रतिदावों पर विचार करने के लिए विद्वान एकमात्र मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी।

2. विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा यह मानने का मुख्य कारण कि अपीलकर्ता द्वारा दायर प्रति-दावे कायम नहीं थे, यह है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को केवल निर्माण समझौते दिनांक 01.10.2019 से उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय देना आवश्यक है; और चूंकि दाखिल किए जाने वाले प्रतिदावे दिनांक 18.11.2019 के निर्माण समझौते से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे लंबित मध्यस्थ कार्यवाही में बनाए रखने योग्य नहीं थे। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "21. दावेदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि ***इस न्यायाधिकरण को दिनांक 01.10.2019 के निर्माण समझौते के संबंध में विवाद का निर्णय करना आवश्यक है और पक्षकारगण के बीच कथित तौर पर निष्पादित दिनांक 18.11.2019 के समझौते पर इन कार्यवाही में विचार नहीं किया जा सकता है।***
>
> 22. दावेदार की ओर से दायर आवेदन को अनुमति दी जाती है और यह माना जाता है कि ***प्रत्यर्थी का प्रतिदावा,***

<u>जो पूरी तरह से दिनांक 18.10.2019 के समझौते पर आधारित है, कायम रखने योग्य नहीं है और इन कार्यवाहियों में उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।"</u>

(जोर दिया गया)

3. संक्षेप में, इस न्यायालय द्वारा राजेश शर्मा और अन्य बनाम प्रवीण कुमार जैन शीर्षक वाली मध्य.या. 423/2021 में दिए गए आदेश दिनांक 27.07.2021 के तहत, पक्षकारगण को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र ('डीआईएसी') के तत्वावधान में मध्यस्थता के लिए भेजा गया था और विद्वान एकमात्र मध्यस्थ को उनके विवादों पर निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया गया था, जो 1 अक्टूबर, 2019 के निर्माण समझौते से उत्पन्न हुए थे।

4. अपीलार्थी का तर्क है कि वास्तव में पक्षों के बीच विवाद दिनांक निर्माण समझौते से उत्पन्न होते हैं; जबकि प्रत्यर्थी उस समझौते की प्रामाणिकता को चुनौती देते हैं। प्रत्यर्थी बदले में निर्माण समझौते दिनांक 01.10.2019 पर भरोसा करते हैं। इसलिए प्रत्येक पक्ष विरोधी पक्ष द्वारा भरोसा किए गए समझौते के अस्तित्व से इनकार करता है, और इसका यह तर्क देता है कि विरोधी पक्ष द्वारा भरोसा किया गया समझौता जाली और मनगढ़ंत है।

5. इस अपील पर नोटिस दिनांक 28.07.2023 को जारी किया गया था। दोनों में से किसी की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

6. न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

7. अपीलकर्ता की आवश्यक शिकायत यह है कि विवादित आदेश के माध्यम से, विद्वान एकल मध्यस्थ ने अपने जवाबी दावों पर विचार करने से भी इनकार कर दिया है, यह मानते हुए कि जवाबी दावे पूरी तरह से दिनांकित निर्माण समझौते से उत्पन्न होते हैं और इसलिए चल रही मध्यस्थता कार्यवाही में विद्वान एकल मध्यस्थ के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं हैं।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि इस स्थिति में कोई संदेह नहीं है चूंकि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थता याचिका दिनांक 01.10.2019 के निर्माण समझौते पर आधारित थी, जिस पर वर्तमान प्रत्यर्थीगण (मध्यस्थता याचिका में दावेदार) ने भरोसा किया था, मध्य. या. 423/2021 वाली मध्यस्थता याचिका में इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 27.07.2021 के तहत न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ विद्वान एकमात्र मध्यस्थ को नियुक्त किया:

> *"7. तदनुसार, श्री एम. एस. सभरवाल, (सेवानिवृत्त), जिला न्यायाधीश [संपर्क संख्याः +91 9711119304] 1 अक्टूबर, 2019 के निर्माण समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है।"*

9. हालांकि, यह तर्क दिया जाता है कि उस संदर्भ आदेश में इस न्यायालय ने भी विशेष रूप से निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की हैः

> *"11. यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने पक्षों के किसी भी दावे की जांच नहीं की है और गुण-दोष पर सभी अधिकारों और तर्कों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। <u>दोनों पक्ष कानून के अनुसार विद्वान मध्यस्थ के समक्ष अपने दावे/जवाबी दावे करने के लिए स्वतंत्र होंगे।</u>"*

(जोर दिया गया)

10. इसके अलावा, यह आग्रह किया जाता है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 01.10.2019 के निर्माण समझौते पर भरोसा किया गया और अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.11.2019 के निर्माण समझौते पर भरोसा करने की मांग की गई, जिससे पता चलता है कि ये दोनों समझौते एक ही लेन-देन से संबंधित हैं, अर्थात् संपत्ति क्रमांक 255/2 और 246क/2, हरि नगर आश्रम, मथुरा रोड, नई दिल्ली पर एक भवन के निर्माण से संबंधित हैं।

11. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह उनका मामला है, कि प्रत्यर्थीगण ने अपने हितों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ही परियोजना से संबंधित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे; और, किसी भी मामले में, प्रत्यर्थीगण का यह तर्क कि दिनांक 18.11.2019 का निर्माण समझौता एक जाली और मनगढ़ंत समझौता है, मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान गुण-दोष के आधार पर विद्वान मध्यस्थ द्वारा विचार किया जाने वाला मामला है। हालांकि, अधिवक्ता का कहना है कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रत्यर्थीगण के आवेदन को अनुमति देकर और इस तरह अपीलकर्ता द्वारा उठाए

गए जवाबी दावों को खारिज कर दिया जाएगा। विद्वान मध्यस्थ ने उस मामले को संक्षेप में खारिज कर दिया है जिसे अपीलकर्ता अपने प्रति-दावों के माध्यम से प्रचारित करना चाहता था।

12. उसकी प्रस्तुति का समर्थन करने के लिए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान मध्यस्थ के समक्ष दायर किए गए दिनांक 06.06.2022 के प्रति-दावों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, यह समझाने के लिए कि उसमें विस्तृत रूप से, दिनांक 18.11.2019 में उल्लिखित भुगतान अनुसूची दिनांक 01.10.2019 में उल्लिखित भुगतान अनुसूची से अलग है, हालांकि दोनों समझौतों की विषय वस्तु समान है।

13. मामले की रूपरेखा पर और विचाराधीन दो समझौतों की जांच करने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि दिनांक 18.11.2019 के निर्माण समझौते के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा किए जाने वाले प्रतिदावे संपत्ति क्रमांक 255/2 और 246A/2, हरि नगर, आश्रम, मथुरा रोड, नई दिल्ली पर निर्माण से संबंधित हैं। जो वह संपत्ति भी है जिसके संबंध में निर्माण अनुबंध दिनांक 01.10.2019 से उत्पन्न प्रत्यर्थीगण द्वारा दावे किए गए हैं। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा किए जाने वाले प्रतिदावे मध्यस्थता याचिका 423/2021 में दिनांक 27.07.2021 के आदेश के तहत किए गए संदर्भ के दायरे में हैं यद्यपि

अपीलकर्ता ने अपने प्रतिदावे के समर्थन में दिनांक 18.11.2019 के निर्माण समझौते का हवाला दिया है।

14. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, इस न्यायालय को वर्तमान याचिका की अनुमति देने के लिए राजी किया गया है, जिससे दिनांक 12.05.2023 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है; और विद्वान मध्यस्थ को अपीलकर्ता द्वारा दायर प्रतिदावों पर कानून के अनुसार विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया।

15. प्रत्यर्थियों की ओर से उठाई गई आशंका को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि मध्यस्थता की कार्यवाही उत्पन्न हो गई है और संदर्भ दिनांक 01.10.2019 के निर्माण समझौते के संदर्भ में किया गया है, अन्य अनुबंध अर्थात निर्माण समझौता दिनांक 18.11.2019 है। अपीलकर्ता द्वारा अपने प्रति-दावों के समर्थन में उद्धृत एक दस्तावेज के रूप में माना जाएगा, इस स्थिति से अलग हुए बिना कि संदर्भ दिनांक 01.10.2019 के निर्माण समझौते के तहत किया गया था।

16. यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलकर्ता को कानून के अनुसार दिनांक 18.11.2019 के निर्माण समझौते के अस्तित्व को साबित करने की आवश्यकता होगी।

17. अपील की अनुमति दी जाती है और तदनुसार उसका निपटारा किया जाता है।

न्या. अनूप जयराम भंभानी

19 जनवरी, 2024
एके

(निर्मोचन तारीख: 14 फरवरी, 2024)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

***अस्वीकरण*:** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*